

7/01/25

वकील प्राथमिक व राजपरोकार उपस्थित
पहावली का अवलोकन किया गया। कंपनी वलीडिंग
में पडॉसियो द्वारा सीव बाबत विवाद कागज व
भण्डा करना अंकित किया गया है लेकिन किसी
भी सीवाजोड काबतकार / खातेदार को अर्थात्
संपोजित नहीं किया गया है केवल टैण्ड होल्ड
तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है सीवाजे
काबतकार / खातेदारों को पार्टी नहीं बनाने से
प्रार्थना - पक्ष से पक्षकारों (किसीपक्ष पक्षकारों) का
असंयोजन है।

अतः पक्षकारों का असंयोजन होने से
यह प्रार्थना - पक्ष इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है प्राथमिक - चाहे तो उपरि पक्षकार संयोजित
कर सक्षम स्तर पर चाराजोर्ड कर सकता है।
आदेश सुनाया गया।

पहावली निर्णय में शुमार कीजक
नम्बर से कम हो तथा तरीका तकमिल होकर
दाखिल दफ्तर हो।

Devyendy